कार्यालयः– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा (म0प्र0)

क्रमांक–Q-41 / जि0न्या0छिं0 / 2020 छिंदवाड़ा दिनांक 25.11.2020

विविध कार्यालयीन आदेश

(आज दिनांक 25.11.2020 को पारित)

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के सर्कुलर क्रमांक ए / 2549 / जबलपुर दिनांक 13.11.2020 के पालन में अधीनस्थ न्यायालयों (परिवार न्यायालय सहित) में प्रयोगात्मक आधार पर दिनांक 23.11.2020 से दिनांक 05.12.2020 तक वैकल्पिक दिनों में निम्नलिखित मामलों में सीमित फिजीकल सुनवाई किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये थेः–

01– रिमाण्ड, जमानत एवं सुपुर्दगीनामा से संबंधित मामले।
02– अपील एवं रिवीजन (सिविल एवं क्रिमिनल दोनों) से संबंधित मामले।
03– अण्डर ट्रायल कैदियों से संबंधित मामले।
04– 05 वर्ष से अधिक समय से लंबित आपराधिक प्रकरण।
05– मोटर यान दुर्घटना दावा से संबंधित क्षतिपूर्ति जमा राशि के भुगतान से संबंधित मामले।
06– धारा 125 द0प्र0सं0 एवं धारा 128 द0प्र0सं0 से संबंधित मामले।
07– किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित मामले।
08– दत्तक ग्रहण से संबंधित मामले।
09– राजीनामा से संबंधित मामले।
10– ऐसे सिविल एवं आपराधिक मामले जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारत समय सीमा में निराकरण के आदेश दिये गये हैं।
11– ऐसे सिविल एवं आपराधिक मामले जिनमें मामले की सुनवाई अर्जेंट प्रकृति की होना प्रतीत हो रहा है।

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के उक्त सर्कुलर के पालन में कार्यालय के विविध आदेश क्रमांक क्यू–40 / छिंदवाड़ा, दिनांक 17.11.2020 द्वारा सभी न्यायालयों को उपरोक्त प्रकार के प्रकरणों में फिजीकल / वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से निम्नलिखित तिथियों (दिनांक 23.11.2020, दिनांक 25.11.2020, दिनांक 27.11.2020, दिनांक 01.12.2020, दिनांक 03.12.2020 एवं दिनांक 05.12.2020) पर सुनवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश के नोट क्रमांक–1 में उक्त तिथियों पर उपरोक्त सुनवाई योग्य मामलों के अलावा **पूर्व से नियत अन्य मामलों में** पीठासीन अधिकारी को स्वयं आगामी तिथि नियत करने हेतु लेख किया गया था, किंतु उक्त कारण से पक्षकार / अधिवक्ता जिनके प्रकरण उपरोक्त के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें भी न्यायालय में तिथियॉ प्राप्त करने के लिये उपस्थित होना पड़ रहा है। अतः उक्त तिथियों के अन्य ऐसे मामले जिनमें फिजीकल सुनवाई नहीं होना हैं, उनके लिये छिंदवाड़ा जिले के समस्त न्यायालयों (जिला मुख्यालय / कुटुम्ब न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों सहित) के लिये निम्नलिखित तिथियॉ नियत की जाती हैं:–

स0क0	नियत तिथि	आगामी तिथि	रिमार्क
1	25-11-2020	21-01-2021	
2	27-11-2020	22-01-2021	
3	01-12-2020	23-01-2021	
4	03-12-2020	25-01-2021	
5	05-12-2020	27-01-2021	

25.11.20

(बी0एस0भदौरिया)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा

प्रतिलिपिः–

1– माननीय रजिस्ट्रार जनरल म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2– अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3– अध्यक्ष, तहसील अधिवक्ता संघ, तहसील– सौंसर, पांढुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हर्रई, तामिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4– समस्त न्यायिक अधिकारीगण, छिंदवाड़ा, सौंसर, पांढुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हर्रई, तामिया एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, छिंदवाड़ा की ओर संदर्भित ज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

5– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छिंदवाड़ा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6– जिला दण्डाधिकारी, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

7– पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे समस्त आरक्षी केंद्र प्रभारियों को सूचना प्रेषित करें।

8– जेल अधीक्षक, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

9– जिला अभियोजन अधिकारी एवं लोक अभियोजक, छिंदवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

10– प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई–मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेब–साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

11– प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि न्यायालय परिसर के मुख्य द्वारों पर संलग्न नोटिस चस्पा किये जाने हेतु।

12– अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर समस्त कर्मचारीगण को अवगत् कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

13– प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

14– कार्यालय जन सम्पर्क अधिकारी, छिंदवाड़ा की ओर सभी दैनिक समाचार पत्रों में उपरोक्तानुसार समाचार प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित।

15– प्रस्तुतकार, सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

sd/-
(बी0एस0भदौरिया)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा